संख्या-7/2026/001-363-81-7-2026

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 **लखनऊः दिनांकः 29 मई, 2026**

विषयः-जिला पर्यावरण समिति हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-45-लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-800-अन्य व्यय-05-जिला पर्यावरण समिति-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के अन्तर्गत रू० 222.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-86/पर्या०/जि०प०स०/जेम/जेआरएफ/2020 (पार्ट-2), दिनांक 13.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला स्तर पर समस्त पर्यावरणीय विषयों एवं प्रदूषण से संबंधित बिन्दुओं पर समग्र रूप से अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 'जिला पर्यावरणीय समिति' के सुचारू संचालन एवं समिति के कार्यों की सहायता हेतु प्रत्येक जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, वन विभाग के कार्यालय हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से आबद्ध किये गये जे०आर०एफ० हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान संख्या-45-लेखाशीर्षक -3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-800-अन्य व्यय-05-जिला पर्यावरण समिति-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में प्राविधानित धनराशि रू० 222.00 लाख (रूपये दो करोड़ बाइस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

1- उक्त धनराशि का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में उ०प्र० बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी/ विभाग की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, तो उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः नियमानुसार प्राप्त किया जाय। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी समस्त वित्तीय नियमों/ शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- स्वीकृत धनराशि को किसी बैंक/डाक घर खाता/डिपाजिट खाता अथवा पी.एल.ए. आदि में जमा नहीं किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल चालू योजनाओं के लिए है, इसका व्यय नई मदों/सेवाओं पर कदापि न किया जाय।

4- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित कार्यों की दिवरावृत्ति नहीं हो रही है।

5- इसके अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों / शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

6- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-86/पर्या०/जि०प०स०/जेम/जेआरएफ/2020 (पार्ट-2), दिनांक 13.05.2026 में उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर निर्गत की जा रही है। अतः किसी भी प्रकार की आंकिक त्रुटि हेतु निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र० उत्तरदायी होंगे।

7- शासनादेश संख्या-1234/81-7-19-12(पर्या)/2018, दिनांक 19.12.2019 तथा शासनादेश संख्या-914/81-7-21-12(पर्या)/2018, दिनांक 07.10.2021 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

9- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र० का होगा।

10- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

11- प्रश्नगत धनराशि संबंधी मदों, विषयों, नियमों इत्यादि की पुष्टता का दायित्व निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र० का होगा तथा इसे सुनिश्चित भी किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,22,00,000 (रुपये दो करोड़ बाइस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 045 लेखा शीर्षक 3435048000500 जिला पर्यावरण समिति मानक मद 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चिरौंजी लाल)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- समस्त जिला वन अधिकारी/प्रभागीय निदेशक, वन विभाग, उ०प्र०।
7- स्टेट स्कीम मैनेजर (श्रीमती नीरजा सक्सेना, विशेष सचिव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।